



लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग



बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फ़ैक्स : +91-612-250 4960, वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in
पत्रांक-BRLPS/LSBA-Estt/21/17/36 दिनांक- 3.05.2017

स्मार पत्र

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०,

राज्य समन्वयक,

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।

सेवा में

सभी जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति,

बिहार।

विषय:- बेसलाइन सर्वे के सूचना अधतन करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक-123 दिनांक- 03.03.2017।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय में सूचित करना है कि राज्य में खुले में शौच से मुक्त घोषित ग्राम पंचायत से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में दिनांक 15/03/2017 तक मांग की गयी थी लेकिन अभी तक किसी भी जिले से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अधिकांश जिलों एवं प्रखंडों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि किसी ग्राम पंचायत में CLTS कार्य के उपरांत BLS अधतन करने के क्रम में वैसे घरों/परिवारों पाये जा रहे हैं जिन्हें BLS से शौचालय सहित एवं प्रोत्साहन राशि प्राप्त (Paid) बतलाया गया है परन्तु वास्तविक रूप से उनके घर में या तो शौचालय नहीं बना है या उन्हें राशि भी प्राप्त नहीं हुई है।

इसी प्रकार यह भी सूचना प्राप्त हो रही है कि पूर्व में जिन ग्राम पंचायत को NBA अंतर्गत निर्मल ग्राम पंचायत का पुरस्कार प्राप्त है उन ग्राम पंचायत में भी अधिकांश घर/परिवार शौचालय विहीन हैं।

बिहार विकास मिशन द्वारा दिनांक-27/02/2017 को LSBA के समीक्षा के क्रम में यह निदेशित किया गया कि वैसे ग्राम पंचायत (जिसे NBA अंतर्गत निर्मल ग्राम पंचायत घोषित किया जा चुका है) में कितने ऐसे परिवार हैं जिसे प्रोत्साहन राशि प्राप्त है परन्तु वास्तविक रूप से उनके घर/परिवार ना तो शौचालय से आच्छादित है एवं प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त नहीं है, कि सूची जांचोपरांत प्रस्तुत की जाए। साथ ही BLS में वैसे कितने परिवार हैं जिन्हें प्रोत्साहन राशि प्राप्त परिवार बतलाया गया है, परन्तु वास्तविक रूप से वैसे घरों में ना तो शौचालय से आच्छादित है और ना ही उन्हें प्रोत्साहन राशि प्राप्त है।

अतः आप सभी को पुनः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त दिशा निर्देश के आलोक में वर्तमान में राज्य के 231, ODF (खुले में शौच से मुक्त) घोषित ग्राम पंचायत से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से समर्पित करें।

प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में ही समर्पित किया जाना है।

अनु०-यथो०

विश्वासभाजन

(राजीव कुमार सिंह)

प्रतिलिपि:- 1. सभी जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ।

2. सभी उपविकास आयुक्त सह उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

3. निदेशक सह सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

4. उप मिशन निदेशक, पे० स्व०, ग्राम एवं न० विकास उप मिशन, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ

प्रेषित।

PROFORMA

जिला का नाम-

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	निर्मल ग्राम पंचायत घोषित है या नहीं हाँ/नहीं	IMIS पर ODF घोषित है या नहीं हाँ/नहीं	BLS के अनुसार कुल घर/परिवार की संख्या	BLS के अनुसार शौचालय विहिन परिवार की संख्या	BLS के अनुसार Paid List परिवार की संख्या	Paid सूची में से कुल कितने घर/परिवार जिन्हें शौचालय नहीं है या प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं है ।	संबंधित ग्राम पंचायत को ODF घोषित करने हेतु कुल कितने परिवार शौचालय से आच्छादित किये गए ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

जिला समन्वयक
जिला जल एवं स्वच्छता समिति

निदेशक सह जिला सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता समिति

Handwritten signature